न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या। 10 / 2022

श्री प्रकाश चन्द जैन निवासी 2 / 520 हाउसिंग बोर्ड टोंक रोडवेज बस स्टैण्ड के पास टोंक राज.

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू, जिला–टोंक

---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 23.05.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार पीपलू, जिला–टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10–12–2021 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

कार्यालय का नाम	अवधि	राशि	विशेष
तहसीलदार भू.अ. पीपलू (टोंक)	DA व IR एरियर 4 / 96 से 9 / 96 जमा वर्ष 1996–97 DA एरियर 7 / 98 से 9 / 98 जमा वर्ष 1998–99	1768 702	पासबुक संलग्न

उपरोक्त कटौतियां मेरे वेतन मे से आपके कार्यालय में मेरे जीपीएफ खाता सं. 186396 में कटौति हुई जिसका इन्द्राज आपके कार्यालय मेंरी जीपीएफ पासबुक में किया गया। तालिका में अंकित कटौतियों की जीपीएफ पासबुक की फोटो प्रति संलग्न कर रहा हु। उपरोक्त कटौतियां का भुगतान सेवानिवृत पर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त कटौतियां के GA55A अथवा कटौति पत्र (शड्यूल) की प्रतियां बिल सं. दिनांक व भुगतान तिथि टी.वी. नं. भुगतान तिथि सहीत अंकित करते हुए उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू, जिला–टोंक को पत्र क्रिमांक 498 दिनांक 05–04–2022, 509 दिनांक 13.4.2022, 539 दिनांक 26.4.2022 व 563 दिनांक 29.04.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। [illegible] सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू जिला–टोंक द्वारा पत्र क्रमांक 96 दि[illegible] 05–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही ज[illegible] सूचना अपी[illegible] को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न [illegible] स्पष्ट है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू जिला--टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested